संख्या-007/वी.जी.एल/010
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवना, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 12.02.2010

परिपत्र सं - 06/02/10

विषय: **अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन ।**

उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 29.10.2009 के परिपत्र सं0 30/10/09 का संदर्भ लें ।

2. आयोग के परिपत्र के पैरा 5 में संशोधन किया गया है तथा इसे निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए:-

पैरा 5 'मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की एक समिति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिश तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनंतिम दृष्टिकोण की पूर्ण रूप से जांच करेगी । समिति में विशेषज्ञ पैनल से लिए गए दो सदस्य होंगे तथा आयोग के सतर्कता आयुक्तों में से एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे । **यदि सतर्कता आयुक्त, पद के खाली होने के कारण अथवा अवकाश में अनुपस्थित होने के कारण अथवा अन्यथा, बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं तो सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होंगे ।** विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, समिति की बैठक से 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उचित सलाह देगा ।'

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

1. विशेषज्ञों की समिति के सदस्य
2. श्री शान्तनु कंसल, सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. श्री अश्वनी कुमार, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी